भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 392

दिनांक 19.07.2022 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

†392. डॉ. सुकान्त मजूमदारः
डॉ जयंत कुमार रायः
श्री विनोद कुमार सोनकरः
श्री राजा अमरेश्वर नाईकः
श्री भोला सिंहः
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
श्री रमेश बिधूड़ीः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को 2022 से आगे 2026 तक जारी रखने का प्रस्ताव किया है/विस्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आरजीएसए के अंतर्गत अब तक उत्तर प्रदेश सहित लाभार्थियों, वित्तीय और भौतिक प्रगति का घटक और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आरजीएसए और अभियान के प्रमुख प्रभावों का कोई मूल्यांकन किया है, यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा आरजीएसए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उठाए जा रहे अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) और (ख) जी, हाँ। सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना को संशोधित आरजीएसए के रूप में 01.04.2022 से 31.03.2026 तक लागू करने के लिए दिनांक

13.04.2022 मंजूरी दे दी है, इसमें कुल 5911 करोड़ रुपए की लागत शामिल है, जिसमें 3700 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा और 2211 करोड़ रुपए का राज्य का हिस्सा शामिल है। हर पांच साल में अधिकांश नवनिर्वाचित प्रतिनिधि (ईआरएस) देश भर में नए प्रवेशकों के रूप में चुने जाते हैं। इसलिए, उन्हें पंचायती राज संस्थाओं के अन्य हितधारकों के साथ पर्याप्त रूप से सक्षम बनाने की आवश्यकता है, जिससे योजना को जारी रखना आवश्यक था।

(ग) वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक लागू आरजीएसए योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न गतिविधियों जैसे कि क्षमता निर्माण और निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण तथा सीमित पैमाने पर पंचायत भवन का निर्माण, कंप्यूटर और वाह्य उपकरणों के लिए निधियां जारी की गई थी। इस योजना के तहत जारी की गई राशि का राज्य-वार एवं वर्ष-वार और अब तक प्रशिक्षित प्रतिभागियों का ब्यौरा क्रमशः **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** के रूप में संलग्न है।

(घ) योजना का त्रिपक्षीय मूल्यांकन किया जा चुका है। मूल्यांकन की रिपोर्ट ने स्थानीय नियोजन के माध्यम से सुशासन और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति के लिए पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाने हेतु आरजीएसए की योजना के माध्यम से किए गए कार्यों की सराहना की और आगे जारी रखने की सिफारिश की। मूल्यांकन रिपोर्ट में निहित सिफारिश को 01.04.2022 से 31.03.2026 तक कार्यान्वयन के लिए दिनांक 13.04.2022 को अनुमोदित संशोधित आरजीएसए की केंद्र प्रायोजित योजना में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया था।

(ङ.) योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, राज्यों के साथ बैठकों, वीडियो-कॉन्फ्रेंस आदि के माध्यम से निधियों के उपयोग की बारीकी से निगरानी की गई थी। राज्यों को निधियां जारी करने के लिए, पहले जारी की गई निधियों के उपयोग की स्थिति को भी ध्यान में रखा गया था। इसके अलावा, आरजीएसए के लिए एक ऑनलाइन निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली (एमआईएस) तैयार करके संचालित की गई थी। आरजीएसए के तहत निधि जारी करने और निगरानी करने के लिए लेनदेन आधारित पीएफएमएस शुरू किया गया है।

(च) पंचायती राज मंत्रालय संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना को लागू कर रहा है, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागितापूर्ण स्थानीय योजना के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने हेतु अधिदेशित करता है। मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के अनुसार सभी 17 एसडीजी को एकीकृत करते हुए नौ थिमों के साथ एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है। इसके अलावा, पीआरआई के माध्यम से एसडीजी के स्थानीयकरण के सहयोगात्मक प्रयास को सुदृढ़ करने के लिए नोडल मंत्रालयों के साथ अंतर-मंत्रालयी परामर्श, राज्यों के साथ क्षेत्रीय कार्यशालाएं और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की गई थी। मंत्रालय एलएसडीजी को जमीनी स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ लगातार काम कर रहा है।

***

अनुबंध-I

दिनांक 19.07.2022 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 392 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज (आरजीएसए) के तहत राज्य/ केंद्र-शासित प्रदेश वार जारी निधियां

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं	**राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	67.69	0	22.339	38.542
3	अरुणाचल प्रदेश	33.19	39.59	0	30.06732
4	असम	39.21	23.22	26.1159	44.041
5	बिहार	4.25	0	0	63.768
6	छत्तीसगढ़	7.24	0	4.0395	7.929
7	दादर और नगर हवेली	0	0	0	
8	दमन और दीव	0	0		0
9	गोवा	0	0	0	0.59495
10	गुजरात	0	0	0	0
11	हरियाणा	6.99	0	9.89	0
12	हिमाचल प्रदेश	17.26	10	22.098	32.42
13	जम्मू और कश्मीर	25.06	6.19	25	40
14	झारखंड	4.49	0	2.34	7.742
15	कर्नाटक	0	0	0.439	29.1495
16	केरल	7.68	0	8.129	12
17	लद्दाख	-	-	2.1485	1.0801
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	62.79	85.48	71.42	47.1075
20	महाराष्ट्र	11.54	8.44	66.76	73.3435
21	मणिपुर	9.25	4.54	3.4127	2.979
22	मेघालय	4.44	2.63	3.967	0
23	मिजोरम	9.85	0.503	21.185	5.556
24	नागालैंड	7.89	3.94	3.7217	4.5846
25	उड़ीसा	0	0	2.937	1.326
26	पुदुचेरी	0	0	0	0
27	पंजाब	29.68	0	13.45	10.78

28	राजस्थान	25.57	0	12.981	17.274
29	सिक्किम	5.08	5.095	4.7475	1.19
30	तमिलनाडु	57.6	5.3	56.875	39.8922
31	तेलंगाना	0	0	12	0
32	त्रिपुरा	2.77	0	2.5304	4.6657
33	उत्तर प्रदेश	57.14	169.92	32.5407	83.08
34	उत्तराखंड	33.05	23.79	26.751	0
35	पश्चिम बंगाल	54.94	44.1	33.52	15.14
	योग	**584.65**	**432.74**	**491.3385**	**614.2524**
	अन्य कार्यान्वयक एजेंसी	13.62	0.16	8.5902	3.7465882
	कुल	**598.27**	**432.90**	**499.93**	**617.9999**

अनुबंध-II

दिनांक 19.07.2022 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 392 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

आरजीएसए के तहत 2018-19 से 2021-22 तक प्रशिक्षित प्रतिभागियों का ब्यौरा (31/03/2022 तक)

क्र.सं	राज्य	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	343	509	0	553
2	आंध्र प्रदेश	380224	600866	483233	155089
3	अरुणाचल प्रदेश	1785	9636	0	0
4	असम	322528	209737	114159	113700
5	बिहार	0	30223	34871	24352
6	छत्तीसगढ़	292025	129543	39843	42115
7	दादरा और नगर हवेली	42	43	0	223
8	दमन और दीव	14	18	0	
9	गोवा	1704	3089	0	3249
10	गुजरात	543094	22159	0	10455
11	हरियाणा	35293	0	3334	4490
12	हिमाचल प्रदेश	7303	3852	518	18387
13	जम्मू और कश्मीर	102540	34256	11950	80000
14	झारखंड	11221	0	0	25260
15	कर्नाटक	301375	304477	296546	246328
16	केरल	109057	107216	0	140390
17	लद्दाख	0	0	0	4898
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	540573	480984	961367	334724
20	महाराष्ट्र	80703	711268	116315	632686
21	मणिपुर	20204	582	8338	232
22	मेघालय	2600	10797	0	1173
23	मिजोरम	6510	3048	0	58
24	नागालैंड	14999	5457	600	25540
25	उड़ीसा	36851	65500	37784	27077
26	पुदुचेरी	0	0	0	0
27	पंजाब	77112	0	28094	45940

28	राजस्थान	122077	570	0	3164
29	सिक्किम	15166	6910	15166	335
30	तमिलनाडु	391621	160399	628125	130329
31	तेलंगाना	169078	14016	1039	3889
32	त्रिपुरा	15910	10399	6794	6708
33	उत्तराखंड	38839	2226	20335	140
34	उत्तर प्रदेश	251796	16648	71835	116042
35	पश्चिम बंगाल	412064	453766	448226	378110
	कुल	4304651	3398194	3328472	2575636

****